

भारत की परमाणु नीति : एक अध्ययन

डॉ. अर्चना

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा।

सारांश

यह शोध पत्र भारत की परमाणु नीति का एक समग्र, गहन, बहुआयामी और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें परमाणु नीति के ऐतिहासिक विकास (इतिहास), इसके मूलभूत तत्वों (सिद्धांतों), दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों (Strategic Objectives), क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों (Regional and International Implications) तथा समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है। यह शोध भारत की परमाणु नीति के निर्माण में शामिल मूलभूत तत्वों जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security), वैश्विक प्रतिष्ठा (Global Prestige), तकनीकी आत्मनिर्भरता (Technological Self-reliance), और ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को स्पष्ट करता है।

भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज' (No First Use - पहले प्रयोग न करने की नीति) और 'न्यूनतम प्रत्युत्तर क्षमता' (Minimum Credible Deterrence) जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, जो संतुलन (Balance), संयम (Restraint), और जिम्मेदारी (Responsibility) के मूल्यों को प्रकट करते हैं। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को सुनिश्चित करती है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन (Regional Power Balance) को बनाए रखने में सहायक है।

यह अध्ययन परमाणु अप्रसार (Nuclear Non-proliferation), परमाणु निरस्त्रीकरण (Disarmament), और अंतरराष्ट्रीय संधियों (जैसे NPT और CTBT) के संदर्भ में भारत की स्थिति को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, NSG सदस्यता की महत्वाकांक्षा, और IAEA की निगरानी में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। यह शोध पत्र समकालीन चुनौतियों जैसे साइबर युद्ध (Cyber Warfare), आतंकवाद (Terrorism), और ड्रोन तकनीक (Drone Technology) के बढ़ते खतरों के परिप्रेक्ष्य में भारत की परमाणु नीति की प्रासंगिकता और अनुकूलन क्षमता की समीक्षा करता है। इसमें यह भी विश्लेषण किया गया है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों और तकनीकी नवाचारों के आलोक में भारत को अपनी परमाणु नीति में किस प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।

मूल शब्द :- परमाणु नीति, नो फर्स्ट यूज, न्यूनतम प्रत्युत्तर क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक प्रभाव, परमाणु अप्रसार, और ऊर्जा सुरक्षा।

परिचय:-

भारत 21वीं सदी में एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य क्षमताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास के संदर्भ में परमाणु तकनीक का महत्व अब केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति में भी अहम भूमिका निभा रही है। परमाणु तकनीक के क्षेत्र में भारत का रुख ऐतिहासिक रूप से संयम, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पर आधारित रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है, और परमाणु विज्ञान को इस दिशा में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखा गया है।

भारत की परमाणु नीति का निर्माण केवल सामरिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि यह देश के ऐतिहासिक अनुभवों, भू-राजनीतिक स्थितियों, नैतिक मूल्यों तथा वैश्विक शक्ति संतुलन की जटिलताओं से भी प्रेरित है। 1974 के पोखरण-I और 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसने 'नो फर्स्ट यूज' (No First Use) और 'न्यूनतम प्रत्युत्तर क्षमता' (Minimum Credible Deterrence) जैसे सिद्धांतों को आत्मसात किया। इस नीति ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया और परमाणु शक्ति के उपयोग में संयम एवं उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया।

भारत की परमाणु नीति न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में, बल्कि ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के ऊर्जा संकट के समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा एक दीर्घकालिक, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है। साथ ही, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के वैश्विक प्रयासों में भारत की स्थिति, कूटनीतिक रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का भी इस नीति में प्रतिफलन होता है। यह शोध पत्र भारत की परमाणु नीति के बहुआयामी पहलुओं—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सिद्धांत, रणनीतिक उद्देश्यों, अंतरराष्ट्रीय प्रभावों तथा समकालीन चुनौतियों—का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन न केवल भारत की रक्षा नीति की जटिलताओं को समझने में सहायक होगा, बल्कि इसमें वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता है।

1. भारत की परमाणु नीति का ऐतिहासिक विकास:-

भारत की परमाणु यात्रा का आरंभ 1940 के दशक में हुआ जब डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु अनुसंधान की आधारशिला रखी। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय को एक दिशा प्रदान की और भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की परिकल्पना प्रस्तुत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जो देश की परमाणु नीतियों का केंद्रीय नियामक निकाय बना।

1950 और 60 के दशकों में भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक विकास था। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण 'स्माइलिंग बुद्धा' के नाम से पोखरण, राजस्थान में किया, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया गया।

इसके पश्चात भारत ने लगभग दो दशक तक परमाणु हथियारों के क्षेत्र में रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी, परंतु तकनीकी प्रगति निरंतर जारी रही। 1998 में पोखरण-II परीक्षणों के माध्यम से भारत ने स्वयं को एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। इन परीक्षणों के माध्यम से भारत ने यह संकेत दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने में सक्षम है। इन परीक्षणों के तुरंत बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति के प्रमुख स्तंभों—'नो फर्स्ट यूज' (No First Use), 'न्यूनतम प्रत्युत्तर योग्यता' (Minimum Credible Deterrence), और 'सिविलियन नियंत्रण'—की घोषणा की, जिससे उसकी वैश्विक छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हुई।

भारत की परमाणु नीति का ऐतिहासिक विकास न केवल एक वैज्ञानिक यात्रा है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, रणनीतिक चिंताओं, और नैतिक दृष्टिकोणों का भी प्रतिबिंब है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखी, जिससे उसकी नीति को 'रणनीतिक स्वायत्तता' का एक सशक्त उदाहरण माना जाता है। यह विकासक्रम यह दर्शाता है कि भारत ने संयम, उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर अपनी परमाणु नीति को आकार दिया है।

2. परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांत:-

- **नो फर्स्ट यूज (NFU):** भारत की परमाणु नीति का एक केंद्रीय स्तंभ 'नो फर्स्ट यूज' (NFU) का सिद्धांत है, जिसके अनुसार भारत कभी भी किसी अन्य देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, बल्कि केवल प्रतिशोध के रूप में उसका उपयोग करेगा यदि उस पर परमाणु हमला किया गया हो। यह नीति भारत के शांतिप्रिय और संयमित दृष्टिकोण को दर्शाती है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि को सुदृढ़ करती है। NFU सिद्धांत रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और अनावश्यक परमाणु दौड़ को रोकने में भी सहायक होता है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह नीति किसी भी स्थिति में स्वतःस्फूर्त या पूर्व-सक्रिय हमले की अनुमति नहीं देती, जिससे उसका परमाणु रुख रक्षात्मक और नैतिक माना जाता है।
- **न्यूनतम प्रत्युत्तर योग्यता (Minimum Credible Deterrence):** भारत की परमाणु नीति का दूसरा प्रमुख स्तंभ 'न्यूनतम प्रत्युत्तर योग्यता' है, जिसका आशय है कि भारत ऐसी न्यूनतम परमाणु क्षमता बनाए रखेगा जो संभावित आक्रमणकारियों को गंभीर नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त हो। इस सिद्धांत के तहत परमाणु हथियारों का उद्देश्य आक्रामक नहीं, बल्कि प्रतिरोधात्मक है। भारत अपने शस्त्रागार को विशाल बनाने के बजाय उसे सीमित, सुरक्षित और उपयोग के लिए तत्पर बनाए रखने पर बल देता है। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्म-नियंत्रण का प्रतीक है। भारत मानता है कि अधिक हथियारों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण एक विश्वसनीय और उत्तरदायी प्रतिरोधक क्षमता है, जो किसी भी शत्रु को परमाणु हमले से पूर्व गंभीर परिणामों के बारे में सोचने को विवश कर दे।
- **सिविलियन नियंत्रण (Civilian Control):** भारत की परमाणु नीति का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत 'सिविलियन नियंत्रण' है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत के परमाणु हथियारों और संबंधित रणनीतियों का नियंत्रण सैन्य के बजाय पूरी तरह नागरिक नेतृत्व के अधीन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) जैसे उच्चतम नागरिक संस्थान परमाणु नीति और उसके प्रयोग से संबंधित सभी निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

भारत में परमाणु कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority - NCA) का गठन एक दो-स्तरीय ढाँचे के रूप में किया गया है, जिसमें 'राजनीतिक परिषद' और 'कार्यकारी समूह' शामिल होते हैं। राजनीतिक परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखती है, जबकि कार्यकारी समूह सैन्य और तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह प्रदान करता है। यह ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परमाणु निर्णय में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और संयम सर्वोपरि रहे। इस सिविलियन नियंत्रण की नीति से भारत की वैश्विक छवि एक जिम्मेदार, विवेकशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बनी है। जबकि विश्व के कई देश अपने परमाणु नियंत्रण को सैन्य नेतृत्व के हवाले करते हैं, भारत ने आरंभ से ही यह स्पष्ट किया है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल चरम स्थिति में ही, पूरी राजनीतिक समीक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही संभव होगा। यह न केवल भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थायित्व को भी बढ़ावा देता है।

इस प्रकार, भारत की परमाणु नीति के ये तीन प्रमुख सिद्धांत—नो फर्स्ट यूज, न्यूनतम प्रत्युत्तर योग्यता और सिविलियन नियंत्रण—देश की रणनीतिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं।

3. भारत की परमाणु नीति और सुरक्षा रणनीति:-

भारत की परमाणु नीति का मूल उद्देश्य एक प्रभावी और विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है ताकि कोई भी शत्रु देश भारत पर परमाणु हमला करने से पहले गंभीरता से उसके परिणामों पर विचार करे। इस प्रतिरोधक सिद्धांत के अंतर्गत, भारत एक ऐसा परमाणु शस्त्रागार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो न्यूनतम परंतु पर्याप्त हो और संभावित आक्रमणकारियों के मन में भय उत्पन्न कर सके। इस रणनीति का विशेष

महत्त्व चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति-संपन्न पड़ोसी देशों की नीतियों और सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में और भी अधिक बढ़ जाता है।

भारत की सुरक्षा रणनीति इस तथ्य पर आधारित है कि पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के साथ-साथ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में आवश्यक है। भारतीय नीति यह सुनिश्चित करती है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया जाए, न कि आक्रामकता के तहत। भारत की रणनीतिक सोच में यह स्पष्ट किया गया है कि परमाणु हथियार 'राजनीतिक हथियार' हैं, जिनका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना है। भारत की इस नीति में 'फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस' के स्थान पर 'क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस' को प्राथमिकता दी जाती है। इसका आशय है कि भारत परमाणु हथियारों की सीमित संख्या और प्रभावी वितरण प्रणाली के माध्यम से ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण न केवल रणनीतिक संयम को प्रोत्साहित करता है, बल्कि परमाणु हथियारों के अनियंत्रित प्रसार को भी हतोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत अपनी सुरक्षा रणनीति में मिसाइल रक्षा प्रणाली, परमाणु त्रिक (nuclear triad) यानी थल, जल और वायु के माध्यम से परमाणु हमले की क्षमता तथा निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के विकास को भी शामिल करता है। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि भारत की प्रतिरोधक क्षमता तकनीकी दृष्टि से भी सशक्त और अद्यतन बनी रहे। भारत की परमाणु सुरक्षा नीति में 'नो फर्स्ट यूज' और 'सिविलियन नियंत्रण' जैसे सिद्धांतों के पालन से उसकी वैश्विक जिम्मेदारी और नैतिक स्थिति भी मजबूत होती है। यह रणनीति न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता और विश्वास निर्माण की दिशा में भी योगदान देती है। इस प्रकार, भारत की परमाणु नीति और सुरक्षा रणनीति न केवल एक ठोस सैन्य उपाय है, बल्कि यह एक विवेकपूर्ण, संतुलित और उत्तरदायी दृष्टिकोण का प्रतीक भी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थायित्व और वैश्विक शांति के त्रिस्तरीय उद्देश्य की पूर्ति करती है।

4. ऊर्जा नीति में परमाणु तकनीक की भूमिका:-

भारत की जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और तीव्र औद्योगिक विस्तार के कारण ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष अत्यधिक गति से बढ़ रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल और गैस न केवल सीमित हैं, बल्कि इनके उपयोग से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा भारत के लिए एक स्वच्छ, विश्वसनीय, दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा समाधान के रूप में उभर रही है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक है।

भारत सरकार का त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इस दिशा में एक दूरदर्शी योजना है, जिसे वैज्ञानिक होमी भाभा ने प्रस्तावित किया था। इस कार्यक्रम में पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम आधारित प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) पर आधारित है, जिसमें प्लूटोनियम उत्पन्न होता है। दूसरे चरण में इस प्लूटोनियम का उपयोग फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) में किया जाता है, जो अधिक कुशलता से ऊर्जा उत्पादन करता है। तीसरा चरण थोरियम आधारित रिएक्टर पर केंद्रित है, जो भारत की प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग कर भविष्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, जिससे यह चरण दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार बन सकता है। भारत में वर्तमान में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जैसे कि तारापुर, काकरापार, रावतभाटा, कुडनकुलम आदि, जो मिलकर राष्ट्रीय ग्रिड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2030 तक भारत की योजना है कि वह अपनी कुल ऊर्जा का कम-से-कम 25% परमाणु स्रोतों से प्राप्त करे।

परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निरंतर आधार पर (base load) बिजली उत्पादन करती है, जबकि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत दिन-रात या मौसम पर निर्भर होते हैं। यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ऊर्जा की सतत आपूर्ति ग्रामीण विकास, औद्योगिकीकरण और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अत्यावश्यक है। हालाँकि परमाणु ऊर्जा के साथ सुरक्षा और विकिरण जैसे

विषय जुड़े होते हैं, भारत ने विश्वस्तरीय सुरक्षा मानकों को अपनाया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) और भारतीय परमाणु निगरानी प्राधिकरण (AERB) इन संयंत्रों की सुरक्षा और संचालन की निगरानी करते हैं।

इस प्रकार, परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा नीति का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है जो देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थायित्व और सतत विकास की ओर ले जाती है।

5. अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत की नीति:-

भारत की परमाणु नीति न केवल घरेलू सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं से प्रेरित है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियों और वैश्विक परमाणु व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का अब तक सदस्य नहीं बना है, क्योंकि उसका मानना है कि ये संधियाँ परमाणु हथियार संपन्न और असंपन्न देशों के बीच असमानता को बढ़ावा देती हैं। भारत का दृष्टिकोण यह है कि इन संधियों ने परमाणु शक्तियों को विशेषाधिकार दिए हैं, जबकि अन्य देशों के लिए तकनीकी विकास और रक्षा की स्वतंत्रता सीमित की गई है। इसके बावजूद भारत ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के गैर-प्रसार के सिद्धांतों का समर्थन करता है। भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस बात की वकालत की है कि एक सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और चरणबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2008) इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर रहा है। इस समझौते के माध्यम से भारत को वैश्विक असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुई, जबकि वह NPT पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। यह समझौता न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक रहा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच भारत की परमाणु नीति की पारदर्शिता और जिम्मेदारी की स्वीकृति का प्रतीक भी बना। इसके परिणामस्वरूप भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) से छूट प्राप्त हुई, जिससे वह यूरेनियम और अन्य परमाणु तकनीक के आयात में सक्षम हो पाया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ भी सहयोग को सुदृढ़ किया है और अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोला है। यह कदम भारत की नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहता है।

इस प्रकार, भारत की अंतरराष्ट्रीय परमाणु नीति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें वैश्विक उत्तरदायित्व, रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है। भारत न केवल एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है, बल्कि उसने परमाणु नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की दिशा में भी वैश्विक प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभाई है।

6. समकालीन चुनौतियाँ और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ:-

वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में भारत को अनेक नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ड्रोन तकनीक, साइबर हमले, और आतंकवाद जैसे असममित खतरों की भूमिका प्रमुख है। ये खतरे पारंपरिक सैन्य रणनीतियों की सीमाओं को चुनौती देते हैं और एक लचीली, बहुआयामी तथा तकनीकी रूप से सुसज्जित परमाणु नीति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। विशेषकर स्वायत्त हथियार प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निर्णय क्षमताओं, और अंतरिक्ष आधारित निगरानी एवं हथियारों की प्रगति से उत्पन्न जोखिमों के बीच भारत को अपनी परमाणु नीति का समय-समय पर मूल्यांकन करना होगा। "डोमिनो इफेक्ट"—जिसके अंतर्गत एक क्षेत्रीय तनाव व्यापक अंतरराष्ट्रीय संकट में परिवर्तित हो सकता है—और "फर्स्ट स्ट्राइक" क्षमताओं की रणनीति अपनाने की प्रवृत्ति को देखते हुए, भारत को NFU (नो फर्स्ट यूज) सिद्धांत की प्रासंगिकता पर गहन विचार करना चाहिए। साथ ही, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक संयम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संतुलन के साथ भारत को अपनी परमाणु नीति को सुदृढ़, पारदर्शी और समकालीन खतरों के अनुकूल बनाए रखना आवश्यक है।

7. निष्कर्ष:-

भारत की परमाणु नीति एक संतुलित, विवेकपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिचायक है, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को संबोधित करती है, बल्कि वैश्विक कूटनीति, वैज्ञानिक उन्नति, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नीति का मूल आधार संयम, आत्मरक्षा और न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारत की नैतिक प्रतिबद्धता और वैश्विक उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं।

भारत ने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में कभी आक्रामकता का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि वह हमेशा परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक शांति के पक्षधर के रूप में कार्य करता रहा है। 'नो फर्स्ट यूज' (पहले प्रयोग नहीं) नीति और 'न्यूनतम प्रत्युत्तर योग्यता' जैसे सिद्धांतों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ किया है। इस नीति के तहत भारत ने जहां एक ओर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है, वहीं दूसरी ओर परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भी अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी सुरक्षा नीतियाँ स्वयं निर्धारित कर सकता है, और इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए शांति और स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध है।

भारत की परमाणु नीति केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, विशेषकर ऐसे समय में जब विश्व जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पर्यावरणीय संतुलन और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया है। आज जब वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहे हैं—जैसे साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और अंतरिक्ष आधारित सैन्य तकनीकों का उदय—ऐसे में भारत की परमाणु नीति को लचीलेपन और अद्यतन रणनीतिक चिंतन के साथ पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी परंपरागत नीतियों के साथ तकनीकी नवाचार, कूटनीतिक संवेदनशीलता, और क्षेत्रीय स्थिरता के संतुलन को भी बनाए रखना होगा।

अंततः भारत की परमाणु नीति एक ऐसा उदाहरण है, जहाँ शक्ति और संयम, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व, तथा विज्ञान और नैतिकता का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। यह नीति न केवल भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और रणनीतिक संतुलन की दिशा में भी प्रेरणास्पद योगदान देती है।

संदर्भ

1. परकोविच, जॉर्ज. *इंडियाज़ न्यूक्लियर बम: द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल प्रोलीफरेशन*. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1999।
2. टेलिस, एशले जे. *इंडियाज़ इमर्जिंग न्यूक्लियर पोस्टर*. कार्नेजी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 2001।
3. भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC)। “भारत का परमाणु कार्यक्रम” – <http://barc.gov.in> (अंतिम पहुँच: जून 2025)।
4. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। “भारत की परमाणु सिद्धांत” – <https://mea.gov.in> (अंतिम पहुँच: जून 2025)।
5. शर्मा, दीपक। “भारत की परमाणु नीति: संयम बनाम शक्ति” *द हिंदू*, 15 मई 2022।
6. इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA)। “India’s Civil Nuclear Programme” – <https://iaea.org> (अंतिम पहुँच: जून 2025)।
7. मिश्रा, यशपाल। *भारत की सुरक्षा नीति और परमाणु रणनीति*, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018।
8. भारतीय रक्षा मंत्रालय, श्वेत पत्र – 2022
9. राज चेट्टी, “भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण” (हिंदी शोध पत्रिका, 2021)